कृषि विभाग का नागरिक अधिकार पत्र

हमारा उद्धेश्य

राज्य की अधिसंख्य जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नवीनतम कृषि तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग प्रयासरत है। राज्य के किसानों को उन्नत बीज, जैविक उर्वरक, पौध संरक्षण उपकरण, कृषि यंत्र एवं जल की बचत के लिए फव्वारा व ड्रिप संयंत्र उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाऐं कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन सबका उद्देश्य कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ–साथ किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके।

हमारी वचनबद्धता

कृषि विकास की इन योजनाओं एवं तकनीक का लाभ जरूरततमंदों को समय पर सुलभ हो सके तथा विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, संवेदनशीलता तथा जवाबदेही परिलक्षित हो, इस आशय से कृषि विभाग द्वारा नागरिक अधिकार पत्र तैयार किया गया है। राज्य में कृषि के चहुॅमुखी विकास के लिए कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी विभाग के नागरिक अधिकार पत्र में दी गई है। विभागीय योजनाओं का त्वरित लाभ उठाने के लिए प्रक्रियागत विभिन्न चरण, आवेदन प्रस्तुत करने का स्थान, चयन प्रक्रिया, समयावधि, निस्तारण प्रक्रिया, निर्धारित शुल्क, देय लाभ आदि का विवरण दिया गया है।

इन योजनाओं में वित्तीय प्रावधानानुसार/लक्ष्यानुसार कृषकों को लाभान्वित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर समय समय पर प्रक्रिया, सहायता राशि आदि में परिवर्तन भी किये जा सकते हैं।

कृषि विभाग का नागरिक अधिकार पत्र

कृषि विभाग खेती की उन्नत व नई तकनीक को किसानों तक पहुंचाने तथा उसी के अनुसार उच्च गुणवत्ता के बीज, खाद व पौध संरक्षण रसायन आदि की व्यवस्था में प्रयासरत है।

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	गतिविधि का विवरण	निस्तारण अवधि (अधिकतम)	निर्धारित अवधि में समाधान न होने पर अभ्यावेदन हेतु कहां सम्पर्क करें
1.	खेती की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार	(प) कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय पर प्रत्येक गुरूवार को किसान सेवा केन्द्र पर तथा गुरूवार के अलावा मण्डल गोष्ठी में जानकारी/समस्या का समाधान प्राप्त करने का अधिकार	तत्काल	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद
		(पप) कृषि पर्यवेक्षक के स्तर पर जानकारी/समस्या का समाधान न हो पाने की दशा में विभाग के उच्च स्तर के कार्यालयों से भी तकनीकी जानकारी/समस्या का समाधान	खण्डीय	संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)
		(पपप) कृषकों को कृषि तकनीक से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान एवं जानकारी के लिये पंत कृषि भवन,जयपुर में किसान कॉल एवं परामर्श केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसमें दूरभाष संख्या 1551 पर आने वाले फोन का उत्तर दिया जाता है।	तत्काल	अतिरिक्त निदेशक,कृषि(विस्तार), कृषि निदेशालय
2.	किसानों के लिए सुविधाऐं			
	(1) मिट्टी एवं पानी की जांच	मुख्य पोषक तत्वों की जांच का शुल्क स्थाई प्रयोगशाला में 5 रूपये तथा भ्रमणशील प्रयोगशाला में 10 रूपये। सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच का शुल्क 20 रूपये प्रति नमूना है। पानी की सामान्य जांच का शुल्क 10 रूपये एवं विस्तृत जांच का शुल्क 20 रूपये प्रति नमूना। नमूना कृषि पर्यवेक्षक अथवा सीधे प्रयोगशाला को देवें।	एक माह	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद्
	(2) जिप्सम	तिलहनी एवं दलहनी फसलों में पोषक तत्वों के लिये तथा क्षारीय मिट्टी सुधार हेतु जिप्सम उपलब्ध के लिए अनुदान सहायता। मांग कृषि पर्यवेक्षक को देवें। क्षारीय मिट्टी की जांच के नमूनों का शुल्क–स्थाई प्रयोगशाला में 5 रूपये तथा भ्रमणशील प्रयोगशाला में 10 रूपये।	एक माह	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्
	(3) पोषक तत्व प्रबन्धन	जीवाणु खाद के पैकिट, सुपर कम्पोस्ट, नेडेप कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, सूक्ष्म तत्व प्रदर्शन और समन्वित पोषक तत्व प्रदर्शन के लिए सहायता। मांग/आवेदन पत्र कृषि पर्यवेक्षक को देवें।	एक माह	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद्
	(4) बीज गांव योजना	बीज उत्पादन के लिए बीज गांव योजना के अन्तर्गत अपने क्षेत्र के राजस्थान राज्य बीज निगम के कार्यालय में आवेदन करें।	एक माह	महाप्रबन्धक, रा.रा.बीज निगम लि., जयपुर, दूरभाष 2227365
	(5) बीज की जांच	बीज की अंकुरण क्षमता, शुद्धता की जांच की सुविधा। शुल्क 10 रूपये प्रति नमूना है। जांच दुर्गापुरा (जयपुर), श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ व कोटा स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में करवायें।	एक माह	संयुक्त निदेशक कृषि (वनस्पति) दुर्गापुरा, जयपुर
	(6) मिनिकिट	उन्नत किस्म के बीज के मिनिकिट का वितरण। कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कृषकों का चयन किया जाकर सूची पर विचार विमर्श कर सरपंच की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा चयनित कृषकों को वितरण, जिसमें प्रगतिशील कृषक–सदस्य, एक अनु.जाति/ज.जाति का कृषक–सदस्य तथा कृषि पर्यवेक्षक – सदस्य सचिव हैं।	15 दिन	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्

	(7) आदान की गुणवत्ता	बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन, जीवाणु खाद तथा बायोएजेन्ट की गुणवत्ता में किसी प्रकार की शंका होने पर अपने क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के कार्यालय में लिखित में शिकायत करें।	15 दिन	उप निदेशक कृषि (विस्तार)
	(8) जल बजट	वर्षा जल संग्रहण हेतु खेत तलाई, सिंचाई जल टैंक, फव्वारा सैट, पाइप लाइन, कपास में ड्रिप सैट एवं नहरी क्षेत्रों में डिग्गी कम फब्बारा योजनाओं के लिए सहायता। क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करवा कर रसीद प्राप्त करें। अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जावेगा।	2 माह	सहायक निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद्
	(9) पौध संरक्षण	फसलों में कीड़े–बीमारी नियन्त्रण हेतु पौध संरक्षण रसायन, पौध सरंक्षण यंत्र खरीदने तथा समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन– प्रदर्शन के लिए सहायता।	15 दिन	उप निदेशक कृषि (विस्तार)
	(10) फसल प्रदर्शन	उन्नत तरीकों के फसल प्रदर्शनों के लिए उन्नत बीज, उर्वरक, दवा खरीदने के लिये सहायता। कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कृषकों का चयन कर सूची तैयार की जावेगी व सरपंच की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित कृषकों को प्रदर्शनों का आवंटन।	एक माह	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्
	(11) कृषि यन्त्र	बैल चालित, हाथ से चलने वाले, टैक्टर चलित तथा शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर आर्थिक सहायता के लिए आवेदन अपने क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी को करें।	एक माह	उप निदेशक कृषि (विस्तार)
	(12) ट्रेक्टर	ट्रेक्टर पर आर्थिक सहायता के लिए आवेदन अपने क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी को करें। ट्रेक्टर के लिए प्रार्थना पत्र का पंजीयन कर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है।	ऋण स्वीकृति से एक माह	उप निदेशक कृषि (विस्तार)
	(13) प्रशिक्षण / प्रोत्साहन	कृषकों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान है। कृषकों का चयन कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से किया जाता है। इच्छुक कृषक कृषि पर्यवेक्षक से सम्पर्क कर सकते है।	एक माह	उप निदेशक कृषि (विस्तार)
		कृषि में उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत बालिकाओं को 1000 रू. तथा स्नातक स्तर पर अध्ययनरत बालिकाओं को 3000 रूपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि देय है। आवेदन उपनिदेशक कृषि (वि.) को करें।	दो माह	संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
3.	आदानों की बिक्री के लिए अनुज्ञा पत्र	बीज, उर्वरक तथा पौध संरक्षण रसायनों की बिक्री के लिए अनुज्ञापत्र हेतु जिले के उपनिदेशक कृषि (विस्तार) को आवेदन करें। दूरदराज के गांवों में जहां विक्रेता नहीं है वहां एक साथ दस मैट्रिक टन उर्वरक तथा दस क्विंटल बीज की स्टॉक सीमा तक व्यापार के लिए अनुज्ञापत्र तथा शुल्क आवश्यक नहीं है, किन्तु बीज अधिनियम तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा।	एक माह	संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
		एक से अधिक जिलों में बिक्री हेतु उर्वरक व बीज के अनुज्ञापत्र के लिए संयुक्त निदेशक कृषि (उर्वरक) तथा पौध संरक्षण रसायनों के लिए संयुक्त निदेशक कृषि (पौध संरक्षण) कृषि निदेशालय जयपुर में आवेदन करें। कृषि आदान अनुज्ञापत्रों के लिए कृषि विभाग की बेव साइट www.rajasthankrishi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।	एक माह	अतिरिक्तनिदेशक कृषि(आदान), कृषि निदेशालय,
4.	आदान खरीद का बिल प्राप्त करने का अधिकार	बीज, खाद, पौध संरक्षण रसायन खरीदते समय बिल प्राप्त करने का अधिकार है। बिल पर किसान का नाम, गांव तथा खरीदी गई वस्तु का विवरण अंकित होगा, जैसे पौध संरक्षण रसायन का बैच नम्बर, अवधिपार तिथि तथा बीज की किस्म एवं लॉट नम्बर। विक्रेता द्वारा बिल न दिये जाने पर कृषि विभाग के कार्यालय में लिखित शिकायत करें।	15 दिन	उप निदेशक कृषि (विस्तार)

नोटः–1. चम्बल सिंचित क्षेत्र व इ.गा.न.प. क्षेत्र में कृषि विभाग की गतिविधियों का लाभ उठाने हेतु जिला विस्तार अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करें।

2. आर्थिक सहायता वित्तीय वर्ष में तय प्रावधानों एवं पात्रता के अनुसार देय होगी।

निर्धारित अवधि में समाधान/निपटारा नहीं होने पर किसकी शिकायत कहां करें:–

क्र.सं.	अधिकारी / प्रभारी का नाम	शिकायत कहां की जावे	निपटारे की समयावधि	उक्त स्तर पर सुनवाई नहीं हो तो कार्यालय का नाम जहां नागरिक आवेदन कर सकता है।
1.	कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी	सहायक निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद्	एक माह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद्
2.	सहायक निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद्	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्	एक माह	जिला कलक्टर/ संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)
3.	उपनिदेशक कृषि (वि.)	संयुक्त निदेशक कृषि (वि.)	एक माह	निदेशक, कृषि, राजस्थान, जयपुर
4.	संयुक्त निदेशक कृषि	निदेशक कृषि, राजस्थान जयपुर	एक माह	–